

फर्द अहकाम

मदनलाल बनाम छोगालाल वगै०

न्यायालय

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू

संख्या 14/2017

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	23/06/2017	<p>आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत एवं कैम्प कोर्ट अभियान 'न्याय आपके द्वार' मुकाम महलां पर पेश हुई। प्रार्थना पत्र में पक्षकारान को विधिवत् सम्मन तामील हो चुके है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 को स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2142 लगायत 2159 कुल किता 18 कुल रकबा 3.9900 हैक्टेयर वाके ग्राम महलां तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। एक-दूसरे की कब्जा-काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें। अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द रहें।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

(सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक))
सहायक (कलक्टर (फास्ट ट्रेक))
दूदू